ANKIT
KUMAR
SINGH
Digitally signed by
ANKIT KUMAR SINGH
Date: 2024.10.18
16:23:06 +0530

2024:CGHC:41008

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WPS No. 3065 of 2016

- Smt. Hemlata Chandrakar W/o Shri Naresh Kumar, aged about 37 years, R/o Village Dashrangpur, Tahsil Kawardha, District Kabirdham Chhattisgarh.

... Petitioner

versus

1. State Of Chhattisgarh, through the Secretary, Department of Woman and Child Development, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, Chhattisgarh.
2. The Collector, District Kabirdham Chhattisgarh.
3. The Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Kawardha District Kabirdham Chhattisgarh.
4. The Project Officer, Integrated Child Development Services Project, Kawardha District Kabirdham Chhattisgarh.

... Respondents

For Petitioner	**:-** Mr. Lav Sharma, Advocate.
For Respondent-State	**:-** Mr. Pankaj Singh, Panel Lawyer.

Hon'ble Shri Justice Sanjay K. Agrawal

Order On Board

17/10/2024

1. The petitioner has filed this instant petition questioning the legality, validity and correctness of the impugned order

dated 30.05.2016 (Annexure P/1) by which she has been terminated from her services.

2. Learned counsel for the petitioner submits that though petitioner's services have been terminated by impugned order dated 30.05.2016 by Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Kawardha, District Kabirdham, but procedure as per the Circular/Scheme dated 02.04.2008 issued by the Women and Child Development Department, State of Chhattisgarh, has not been followed and without giving any reasonable opportunity of hearing she has been terminated from the service which is violation of the principles of natural justice and also the Circular/Scheme, therefore, the impugned order is liable to be set aside the petition deserves to be allowed.

3. Learned State counsel opposes the prayer made by learned counsel for the petitioner and supports the impugned order and submits that the procedure has been followed by the respondents authority, therefore, the petition deserves to be dismissed.

4. I have heard learned counsel for the parties, considered their rival submissions made herein in above and gone through the records with utmost circumspection.

5. At this stage it would be appropriate to notice paragraphs No. 13.1 to 13.3 of the Circular/Scheme dated 02.04.2008 which states as under:-

13 <u>कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को पद से हटाने की प्रक्रिया :-</u>

13.1 किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के संदर्भ में शिकायत प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संबंधित पर्यवेक्षक से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा व प्राप्त प्रतिवेदन में गुण दोषों का परीक्षण कर शिकायत सही पाये जाने पर यदि किसी प्रकार का गबन अथवा गंभीर अनियमितता का प्रकरण बनता है तो संबंधित कार्यकर्ता / सहायिका को उस पर परिलक्षित हुए आरोपों से स्पष्ट अवगत कराते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु पन्द्रह दिवस का समय प्रदान किया जावेगा एवं उत्तर प्राप्त होने पर पुनः गुण दोषों का परीक्षण कर न्यायोचित निर्णय लेते हुए यदि पद से पृथक किया जाना आवश्यक हो तो पद से पृथक किये जाने संबंधी प्रस्ताव जॉच प्रतिवेदन सहित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की उस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जो चयन के लिये सक्षम हैं। उक्त समिति के अनुमोदन होने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत / आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पद से पृथक करने के आदेश प्रसारित किये जायेंगे ।

13.2 यदि गबन अथवा गंभीर अनियमितता का प्रकरण परिलक्षित नहीं हुआ है एवं मात्र सामान्य लापरवाहियाँ परिलक्षित हुई हैं तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रथम दो बार संबंधित कार्यकर्ता/सहायिका को सचेत करते हुए चेतावनी जारी की जावेगी एवं तृतीय बार भी सुधार न आने पर उस पर स्पष्ट आरोप आरोपित करते हुए

सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान किया जावेगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर न्यायोचित रूप से विचार करते हुए यदि पद से पृथक किया जाना आवश्यक हो तो तद्नुसार उपरोक्त कण्डिका 13.1 अनुसार जनपद पंचायत / नगरीय निकाय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि गंभीर कदाचार/अनियमितता की शिकायत होने पर भी जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की चयन समिति कार्यकर्ता / सहायिका को पद से पृथक करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तीन सप्ताह की समयावधि के भीतर पारित नहीं करती है एवं परियोजना अधिकारी उक्त कार्यकर्ता / सहायिका को जनहित में पद से पृथक किया जाना आवश्यक मानते हैं तो बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रकरण मूल्यांकन समिति के समक्ष रखेंगे । बाल विकास परियोजना अधिकारी के व्दारा मूल्यांकन समिति के प्रस्ताव से जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत पद से पृथक किया जा सकेगा।

13.3 वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा उनसे उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान स्थिति असंतोषजनक पाये जाने पर यदि उनके विवेक अनुसार कार्यकर्ता को पद से पृथक किया जाना आवश्यक पाया जाता है तो इस हेतु संबंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने निरीक्षण तथा अनियमितताओं का विस्तृत सुस्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर पद से पृथक करने हेतु उल्लेख करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और यदि नगरीय क्षेत्र है तो आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित कर देंगे एवं जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय व्दारा कण्डिका 13.1 एवं 13.2 अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

6. A careful perusal of the record would show that the procedure prescribed in paragraphs No. 13.1 to 13.3 in Circular/Scheme dated 02.04.208 has not been followed and by recording vague finding, the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat terminated the petitioner from her services. In that view of the matter, the impugned order

dated 30.05.2016 is quashed reserving the liberty in favour of the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat to proceed in accordance with the procedure prescribed in paragraphs No.13.1 to 13.3 of Circular/Scheme dated 02.04.2008 issued by Women and Child Development Department, State of Chhattisgarh.

7. With the aforesaid observation/direction, the instant writ petition stands disposed off.

Sd/-
(Sanjay K. Agrawal)
Judge

Ankit